मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः29.04.2026

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा 02 अन्तर्जनपदीय शातिर गो-तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, मौके से वध हेतु पैदल हांकते हुए ले जाए जा रहे 45 राशि गोवंश तथा घटना में प्रयुक्त 02 अदद देशी कट्टा व कारतूस बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः29.04.2026 को थाना अहरौरा पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पैदल अहरौरा के जंगल के रास्ते चंदौली होते हुए बिहार गोवंश ले जाया जा रहा है। थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा बेजू बाबा तपस्थली के जाने वाले रास्ते के दक्षिण जंगल में(भल्दरिया) वहद ग्राम हिनौता छातों में अभियुक्तो को रोका गया, अभियुक्तो द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किये परन्तु थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें दो गो-तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण- 1. रामबच्चन यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी लौंडा झांसी जनपद चंदौली व रामप्रकाश यादव पुत्र रामसूरत निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना चकिया जनपद चंदौली को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्तगण के पास से घटना में प्रयुक्त 02 अदद देशी कट्टा, 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस तथा वध हेतु पैदल हांकते हुए ले जाए जा रहे कुल-45 राशि गोवंश बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. रामबच्चन यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी लौंडा झांसी थाना अलीनगर जनपद चंदौली, उम्र करीब 37 वर्ष।
2. रामप्रकाश यादव पुत्र रामसूरत निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना चकिया जनपद चंदौली,उम्र करीब-50 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

02 अदद देशी कट्टा, 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस तथा 45 राशि गोवंश बरामद।

आपराधिक इतिहास—

अभियुक्त-रामबच्चन यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी लौंडा झांसी थाना अलीनगर जनपद चंदौली

1. मु0अ0सं0- 486/14 धारा- 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

2. मु0अ0सं0- 31/16 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनिमय थाना चकिया जनपद चंदौली।

3. मु0अ0सं0- 71/17 धारा- 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नौगढ़ जनपद चंदौली।

4. मु0अ0सं0- 69/23 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

5. मु0अ0सं0- 77/23 धारा-307 भा0द0वि0, 3/5A/8 गोवध निवारण अधनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

6. मु0अ0सं0- 172/23 धारा -307 भा0द0वि0 व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कछवां जनपद मीरजापुर

7. मु0अ0सं0-287/23 धारा-307 भा0द0वि0 व 3/8 गोवध निवारण तथा11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 शास्त्र अधिनियम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

8. मु0अ0सं0- 1069/24 धारा-138 (1) b भारतीय विद्युत अधिनियम थाना एंटी पावर थेफ्ट थाना चंदौली जनपद चंदौली।

9. मु0अ0सं0- 80/2025 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नौगढ़ जनपद चंदौली।

अभियुक्त रामप्रकाश यादव पुत्र रामसूरत निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना चकिया जनपद चंदौली

1. मु0अ0सं0-187/17 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकिया जनपद चंदौली।

2. मु0अ0सं0-16/24 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नौगढ जनपद चंदौली।

3. मु0अ0सं0-25/24 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चंदौली।

4. मु0अ0सं0-48/24 धारा- 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चंदौली।

5. मु0अ0सं0-75/24 धारा- धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना नौगढ जनपद चंदौली।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष अहरौरा-अजय कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम।

चौकी प्रभारी अहरौरा नगर- अशीष सिंह मय पुलिस टीम।

****